पुस्तकालय
2354
28.8.02

सत्यमेव जयते

असंशोधित

26 JUL 2002

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

खण्ड - 2

(भाग २—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित)

बि० स० मु० (एल० ए०) 86—मोनो—1000—16-3-2002—,

क्रमांक-60 - श्री राज किशोर केशरी

श्री श्रीनारायण यादव (मंत्री) : महोदय, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 1922 की धारा-12 के अन्तर्गत गठित पूर्णियाँ नगरपालिका (सम्प्रति नगर परिषद, पूर्णियाँ) एक स्वायत्त निकाय है । अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विषयांतर्गत कार्य को कराने का मुख्य दायित्व उक्त निकाय को ही है ।

(2) इस हेतु प्रासंगिक अधिनियम के विभिन्न उपबंधों/प्रावधानों के अन्तर्गत कर निर्धारण तथा अन्य माध्यम से शुल्कादि के रूप में आवश्यक राशि की व्यवस्था उक्त निकाय को स्वयं किया जाना निर्धारित है ।

(3) जहाँ तक उक्त कार्य हेतु विभाग के स्तर से निधि उपलब्ध कराकर कार्य कराने का पक्ष है, निकाय के क्षेत्रांतर्गत उक्त प्रकार के कार्यों को विभाग द्वारा करवाने की परिकल्पना या व्यवस्था नहीं है ।

(4) प्राप्त सूचनानुसार नगर परिषद पूर्णियाँ क्षेत्रांतर्गत लालगंज नाला शहर का मुख्य नाला है, जो शहर के बीचोबीच अवस्थित है । इसकी लम्बाई 11000 (ग्यारह हजार) फीट तथा चौड़ाई 21 (इक्कीस) फीट है । प्रत्येक वर्ष नगर परिषद पूर्णियाँ द्वारा नाला की सफाई करायी जाती है, जिसके कारण पूर्णियाँ शहर में जल-जमाव नहीं होता है ।

लालगंज नाला के पक्कीकरण हेतु नगर परिषद पूर्णियाँ द्वारा विभाग से निधि उपलब्ध होने की प्रत्याशा में मो० तीन करोड़ चौरासी लाख अड़तालीस हजार चार सौ बत्तीस रूपये का प्राक्कलन तैयार कर विभाग को प्रेषित किया गया है, परन्तु योजना अथवा बजट मद में अपेक्षित निधि उपलब्ध नहीं होने तथा उपर्युक्त वर्णित व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में उक्त कार्य को नगर परिषद, पूर्णियाँ द्वारा स्वयं अपने ही साधन स्रोतों से किया जाना है ।

अत: निधि के अभाव में विभागीय स्तर से इस संदर्भ में विचार किया जाना संभव नहीं है । अत: माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री राजकिशोर केशरी : 20-20 लाख रूपये प्रति वर्ष उसकी सफाई पर खर्च होता है । मैं वापस लेता हूँ ।

अध्यक्ष : सदन की राय से यह वापस हुआ ।